156

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर
समक्ष एम.के. सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3393/तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.08.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 144/बी–121/2010–11

बृजेश कुमार पुत्र स्व. श्री कृष्णदत्त त्रिपाठी
निवासी – ग्राम शिवराजपुर तहसील राजनगर हाल निवास नरसिंगढ़ पुरवा वार्ड नं. 35 छतरपुर जिला–छतरपुर (म.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

1 रामनारायण पुत्र श्री मातादीन दुबे
निवासी – ग्राम टिकुरी थाना खजुराहो तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)
2 म.प्र. शासन

–– अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक आवेदक
श्री के.के.द्विवेदी, धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1
श्री राजीव गौतम शासकीय सूचि अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 2

आदेश

(आज दिनांक 19/07/2016)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 144/बी–121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे

केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक के अनुसार उनके बाबा रामनारायण पुत्र मातादीन ब्राहम्ण निवासी चन्द्रनगर के नाम भूमि सर्वे क्रमांक 61/2 रकवा 4.052 है0 स्थित शिवराजपुर तहसील राजनगर का पट्टा स्वीकृत किया गया था। तब से आवेदक और उनके पिता तथा उसके बाद बृजेश कुमार त्रिपाठी (आवेदक) का उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते हुये कब्जा चला आ रहा है। तहसीलदार चन्द्रनगर द्वारा आवेदक के बाबा रामनारयण को स्वीकृत पट्टा की भूमि को शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार राजनगर द्वारा भूमि को शासकीय दर्ज किये जाने का आदेश निरस्त किया गया। आवेदक के बाबा रामनारायण के स्वर्गवास होने के बाद तथा भूमि मध्य प्रदेश दर्ज किये जाने के बाद भूमि खसरा नं. 661/2 रकवा 4.052 है0 में से रकवा 0.300 है0 का आवंटन कमलू तनय साधुकोरी के पक्ष में कर दिया जिसकी अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के यहॉ प्रस्तुत की गयी। जो पारित आदेश दिनांक 29.05.2003 को स्वीकार कर कमलू कोरी के पक्ष में बंटन आदेश दिनांक 11.07.2002 को निरस्त किया गया। और बृजेश कुमार त्रिपाठी को भूमि स्वामी घोषित किया गया भूमि का सीमांकन आवेदक ने तहसीलदार चन्द्रनगर से कराया गया जिसके अंश भाग पर अतिक्रमण हो जाने पर नायब तहसीलदार चन्द्रनगर द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित कर बादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाया गया अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा आवेदक के बाबा रामनारायण तनय मातादीन निवासी चन्द्रनगर के मूल पट्टे प्रकरण रिकार्ड में लगी हुयी द्वितीय पट्टी में समान नाम एवं बल्दीयत होने के आधार पर नाम के आगे दुबे एवं चन्द्रनगर के आगे टिकुरी रिकार्ड रुम में मिलकर अवैध रुप से दर्ज करा लिया गया। अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसीलदार

चन्द्रनगर के प्रकरण क्रमांक 1488/बी–121/06–07 में आदेश दिनांक 14.09.2007 द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 रामनारायण से साठ–गांठ कर पटवारी रिकार्ड में ब्राहम्ण की जगह दुबे लेख कराया गया। जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष एक निगरानी प्रकरण क्रमांक 58/निग/बी–121/07–08 को पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 24.01.2008 में निराकृत की गयी आदेश के अतिरिक्त तहसीलदार चन्द्रनगर के प्रकरण क्रमांक 1488/बी–121/06–07 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2007 जिसके द्वारा रामनारायण पुत्र मातादीन ब्राहम्ण की जगह रामनारायण तनय मातादीन दुबे दर्ज किये गये आदेश को निरस्त किया गया। पूर्व की भांत आवेदक के नाम विवादित खसरा दर्ज किया जाकर कूठ रचना करने वाले कर्मचारियो के विरूद्व जॉच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिये गये अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक 87/बी–121/02–03 प्रस्तुत की गयी। जिसमें एक पक्षीय आदेश दिनांक 19.06.2007 पारित किया गया तथा आवेदक को कोई सूचना नही दी गयी जिसके आधार पर अपर कलेक्टर जिला छतरपुर का आदेश दिनांक 24.01.2008 निरस्त किया जाकर रामनारायण दुबे तनय मातादीन ब्राहम्ण साकिन टिकुरी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 1128/एफ/07 मे निर्णय दिनांक 15. 10.2009 को अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 19. 06.2007 अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश दिनांक 24.01.2008 का अंश छोडकर मूल प्रकरण क्रमांक 276/अ–19/71–72 के माध्यम से जारी पट्टा रामनारायण तनय मातादीन ब्राहम्ण निवासी चन्द्रनगर में ओवर राइटिंग से लेख किये गये ब्राहम्ण के आगे दुबे तथा चन्द्रनगर के आगे टिकुरी के संबंधित कर्मचारी को बारीकी से जॉच की जाये। तथा संबंधित कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाना प्रस्तावित किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये गये

कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदक के बाबा रामनारायण तनय मातादीन ब्राहम्ण को जारी किया गया अथवा नहीं राजस्व मण्डल के आदेश के बाद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/अपील/01-02 दर्ज किया जाकर दिनांक 23.12.2010 को आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्व अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 27.08.2013 को निरस्त की गयी इसी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त सागर का प्रश्नाधीन आदेश 27.08.2013 किसी भी दृष्टि से न्यायिक आदेश नहीं है। जिसमें गंभीरता को ध्यान में न रखते हुये सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है जो वरिष्ठ न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार नही है। और न ही दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है। जिसे स्थिर रखने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर त्रुटि की है। रामनारायण दुबे सिंचाई विभाग में शासकीय सेवक की और उनके पास पैत्रिक टिकुरी ग्राम में वर्ष 1970-71 की खतौनी के अनुसार खाता क्रमांक 243 में रामनारायण के पिता मातादीन के पास 7.496 है0 यानि 18.52 एकड़ एक खाते में और दूसरे खाते में रामनारायण, लक्ष्मी नारायण पिता मातादीन के नाम संयुक्त खाते में 4.822 हैक्टर भूमि है जिससे स्पष्ट है कि बंटन के समय वे भूमिहीन नहीं थे।

आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्को में यह भी उल्लेख किया है कि अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा जिन आधारो पर आदेश पारित किया है, वे साक्ष्य पर आधारित नहीं है पट्टाधारी रामनारायण तनय मातादीन ब्राहम्ण (त्रिपाठी) छतरपुर रियासत में बस गये थे बिंध्य प्रदेश के समय से छतरपुर में परिवार सहित निवास कर रहे था जिनका निर्वाचन नामाबली 1971 भाग अनुक्रमांक 33 महाराष्ट्र

वार्ड जिला छतरपुर में मकान नं. 4 नरसिंह मार्ग रामनारायण तनय मातादीन उम्र 64 वर्ष दर्ज है इसी प्रकार निर्वाचन नामाबली 1971 भाग 11 अनुक्रंम 33 में मकान नं. 4 नरसिंह मार्ग छतरपुर में कृष्णदत्त तनय रामनारायण स्पष्ट दर्ज है जिनकी शिक्षा छतरपुर म.प्र. की है आवेदक के बाबा प्रकाण्ड विद्यमान थे और भूमिहीन थे। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा खसरा क्रमांक 61 शिवराजपुर हल्का का पट्टा प्रदान किया गया है और उनका नाम बंटन समय 1972 से ही दर्ज रहा। और सन् 2007 तक नाती बृजेश का दर्ज चला आया इस महत्वपूर्ण स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा विचार नहीं किया गया है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्को में यह भी बताया कि रामनारायण छतरपुर रियासत के समय से ही छतरपुर में निवासरत रहे है उनके द्वारा बिजली कनेक्शन लगा हुआ है जमा रसीद 1972 से 1975 तक, 1971 से 1975 तक मतदाता सूची मे नाम निवास प्रमाण पत्र में बाबा का नाम कृष्ण दत्त जी वोटर आईडी और रामनारायण की मुत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि छतरपुर में ही रहे है अतः रामनारायण को उत्तर प्रदेश का निवासी बताना न्यायसंगत नहीं है। किन्तु अपर आयुक्त द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किये बिना आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में लेख किया है कि अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 24.01.2008 एवं राजस्व मण्डल ग्वालियर का आदेश दिनांक 15.10. 2009 द्वारा ओवर राइटिंग से टिकुरी दुबे जोडने वाले कर्मचारी की जॉच कर रिपोर्ट मांगी गयी है जिसकी जॉच नगर पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा की गयी है आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये इस प्रकार अपर आयुक्त न्यायालय का आदेश विधिवत् नहीं है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि बृजेश कुमार त्रिपाठी के बाबा रामनारायण तनय मातादीन ब्राहम्ण चन्द्रनगर का नाम बंटन समय 1972 से निरन्तर दर्ज रहा फिर 2007 तक बृजेश का नाम

दर्ज रहा। भूमि स्वामित्व संबंधी सभी अपीले बृजेश द्वारा की गयी पिता श्री कृष्णदत्त द्वारा लगान जमा किया जाता रहा। बाबा जी द्वारा स्वंय 1972 से 1975 तक रसीदे लगान जमा की रखी है सन् 2006 तक स्वंय बृजेश कुमार द्वारा लगान जमा किया गया प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व संबंधी अपील दावा आपत्ति बृजेंश द्वारा की गयी लगान ऋण पुस्तिका खसरा बी–1 सभी में नाम दर्ज है कितने महत्वपूर्ण अभिलेखों को नजर अंदाज करते हुये अपर आयुक्त ने बृजेश के बाबा को पट्टा जारी नहीं किया गया। लिखा पूर्ण असत्य है बृजेश के बाबा को ही पट्टा दिया गया रामनारायण तनय मातादीन के बगल की भूमि खसरा क्रमांक 62 के पट्टाधारी के पुत्र बंदीपाल ने तहसील न्यायालय में बृजेश के बाबा की जमीन बतायी फिर भी महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजर अंदाज कर अपर आयुक्त द्वारा जो आदेश पारित किया है निरस्त किये जाने योग्य है।

माननीय राजस्व ग्वालियर ने आदेश दिनांक 15.10.2009 मे रामनारायण दुबे को रिकार्ड से पृथक कर और पक्ष के आदेश निरस्त करके रामनारायण दुबे को कोई पट्टा प्रश्नगत भूमि का नहीं दिया गया और वे हितवद्ध पक्षकार भी नहीं है सिर्फ बृजेश त्रिपाठी के बाबा रामनारायण तनय मातादीन ब्राहम्ण चन्द्रनगर की जॉच करने के निर्देश दिये गये थे इस प्रकार आदेश दिनांक 15.10.2009 के पेंज 14 से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 14.09.2007 के पालन में की गयी कार्यवाही भी निरस्त की जाती है जिसके द्वारा रामनारायण दुबे का नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज किया गया था। इस प्रकार आवेदक अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2013 स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक क्रमांक 1 की अभिभाषक द्वारा अपनी लिखित बहस में उल्लेख किया है कि रामनारायण दुबे तनय मातादीन दुबे निवासी ग्राम चन्द्रनगर हालनिवास टिकुरी को आदेश दिनांक 06.05.1972 को भूमि खसरा क्रमांक 61 रकवा 13.64 एकड़ भूमि स्थित

ग्राम शिवराज पुर सर्किल चन्द्रनगर तहसील राजनगर को भूमि आंवटित की गयी थी माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.10.2009 द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजनगर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि इस तथ्य की विस्तृत जॉच की जाये कि क्या प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदक बृजेश कुमार के बाबा रामनारायण तनय मातादीन को जारी किया गया है। या नहीं एवं क्या रामनारायण दुबे तनय मातादीन दुबे टिकुरी को पट्टा जारी किया गया है एवं रामनारायण दुबे का नाम राजस्व अभिलेखों मे वर्ष 1985 तक दर्ज रहा। अथवा नहीं इस तथ्य की जॉच की जाकर तद्नुसार कार्यवाही की जाये तथा इस न्यायालय को कार्यवाही कर तीन माह में सूचित करें। किन्तु अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण को उसी नम्बर पर लेकर उभय पक्षों को आहूत किया गया और राजस्व मण्डल ग्वालियर के आदेशानुसार उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया गया। और आवेदक के बाबा रामनारायण त्रिपाठी पुत्र मातादीन ब्राहम्ण के नाम पट्टा जारी नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 61 रकवा 13.64 एकड़ का पट्टा रामनारायण दुबे तनय मातादीन दुबे चन्द्रनगर टिकुरी के नाम जारी होना प्रमाणित है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2010 विधि कानूनी दृष्टि से सही है अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2013 में आवेदक के पिता कृष्णदत्त त्रिपाठी जोकि सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख छतरपुर में पदस्थ रहे है एवं बृजेश त्रिपाठी के ससुर श्री रामआसरे द्विवेदी दोनो भू-अभिलेख के जानकर है व समान्य नाम व वल्दियत को देखते हुये भूमि हड़पने के उद्देश्य से साजिश की गयी है बृजेश कुमार त्रिपाठी के बाबा रामनारायण तिवारी द्वारा ग्राम पहरा जिला महोबा उत्तर प्रदेश के निवासी है मतदाता सूची 2005 की सूची क्रमांक 389 पर नंदकिशोर पुत्र रामनारायण दर्ज है एवं परिवार रजिस्टर में सभी परिवार के क्रमांक 347 मकान नं. पर

दर्ज है तथा ग्राम पहरा जिला महोबा उत्तर प्रदेश वर्ष 1981-83 एवं 1995 से 2000 की खतौनी में खाता क्रमांक 244 खसरा नं. 902 एवं खाता क्रमांक 618 कुल किता 6 रकवा 8.19 है0 रामनारायण पुत्र मातादीन के नाम दर्ज है। और खाता क्रमांक 269 कुल किता 3 रकवा 13.53 है0 नंदकिशोर व कृष्ण दत्त व भगवत प्रसाद पुत्र रामनारायण के नाम दर्ज है एवं कृष्णदत्त जोकि रामनारायण के लडके है इनकी सर्विस बुक में पता ग्राम पहरा जिला महोबा उत्तर प्रदेश लिखा है अतः इन सब से प्रमाणित है कि वह ग्राम पहरा जिला महोबा उत्तर प्रदेश के निवासी है। अतः बृजेश त्रिपाठी के बाबा रामनारायण त्रिपाठी ग्राम शिवराजपुर चन्द्रनगर के निवासी न होकर उत्तर प्रदेश के निवासी होना प्रमाणित है। तथा पट्टा जारी दिनांक के पूर्व से काफी मात्रा में भूमि रही है जिससे भूमिहीन की श्रेणी में न होने से पट्टा पाने की पात्रता नहीं है इससे स्पष्ट है कि बृजेश कुमार त्रिपाठी के बाबा रामनारायण पुत्र मातादीन को पट्टा जारी नहीं हुआ है। इसी आधार पर बृजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा निरस्त की गयी है जिसे स्थिर रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है।

6- अनावेदक क्रमांक अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में यह भी उल्लेख किया है कि तहसीलदार राजनगर द्वारा दिनांक 20.12.1985 को विवादित भूमि शासकीय घोषित की गयी और खसरा वर्ष 1986-87 में टीप अंकित है कि आज्ञा तहसीलदार राजनगर के राजस्व प्रकरण क्रमांक जिल दिनांक 20.12.1985 के अनुसार भूमि खसरा नं. 61/2 रकवा 4.052 है0 शासकीय पट्टेदार से निरस्त किया जाकर भूमि शासकीय की गयी आदेश बी-1/83-84 में अंकित किया गया है जो 187 क्रमांक 1 पर दर्ज है उपर्युक्त स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा राजस्व प्रकरण तहसीलदार राजनगर के प्रकरण पंजी में अंकित नहीं है अथवा उसका प्रमाण और क्रमांक आदेश जो खसरा वर्ष 1985-86 में दर्ज है आदेश क्रमांक अवश्य लिखा जाता है बी-1 की प्रति वर्ष खसरे के आधार पर तैयार की जाती है न कि बी-1 के

आधार पर तैयार किया जाता है आदेश के हवाला खसरा वर्ष 1986-87 में दुरूस्ती किया गया जबकि बी-1 दुरूस्त वर्ष 1983-84 में क्रमांक 187 पर नया खाता कायम करके किया गया है। जो कि संभव ही नहीं है यदि दुरूस्ती होना था तो बी-1 वर्ष 1986-87 या 1987-88 में किया जाना चाहिये था वर्ष 1983-84 में नहीं किया जाना चाहिये था इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार राजनगर का कोई आदेश रामनारायण तनय मातादीन के नाम से नहीं था। क्योंकि वर्ष 1983-84 की बी-1 कॉलम नं. 2 में शासकीय पट्टा 1977 लेख है यह सारी प्रक्रियाा भी रामआसरे द्विवेदी द्वारा तहसील राजनगर में राजस्व निरीक्षक के पद पर फर्जी करायी गयी है जबकि वर्ष 1986-87 में यह भूमि शासकीय हो गयी थी तो वर्ष 1983-84 की बी-1 में कास्तकार का नाम बी-1 के खाता क्रमांक 187 में कैसे लेख हुआ स्पष्ट नहीं है।

7- अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में उल्लेख किया है कि किसी भी व्यक्ति को आवंटित भूमि को किसी वैधानिक प्रावधान के उल्लघंन में यदि शासकीय घोषित की जाती है तो उसकी प्रक्रिया धारा 176 (1) भू-राजस्व संहिता 1959 में प्रावधान दिया गया है जिसके अनुसार इस्तहार जारी कर 3 वर्षो तक लगातार भूमि को प्रति वर्ष के हिसाब से नीलाम किया जाता है और इस अवधि में यदि भूमि का भूमि स्वामी अथवा उसका कोई उत्तराधिकारी उपस्थित होता है तो उसका निपटारा उसी रिति के अनुसार किया जाता है। अन्यथा उसको शासकीय घोषित किया जाता है ऐसी प्रक्रिया तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय घोषित किये जाने में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जिसमें तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्रावधानो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

भूमि का आवंटन मध्य प्रदेश के मूल निवासी को होता है जबकि नंदकिशोर त्रिपाठी, भागवत त्रिपाठी पुत्रगण रामनारायण त्रिपाठी पुत्रगण कृष्णदत्त त्रिपाठी तथा रामनारायण त्रिपाठी मूलतः ग्राम पहरा तहसील परगना

महोबा उ.प्र. के मूल निवासी है इस तरह से भी जालसाजी द्वारा बृजेश कुमार त्रिपाठी प्रश्नाधीन भूमि अपने पक्ष में कराना प्रमाणित होता है। बृजेश त्रिपाठी द्वारा अपर कलेक्टर आदेश दिनांक 24.01.2009 का हवाला देते हुये रामनारायण दुबे के विरूद्ध शिकायत की थी जिसके आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक आरक्षी विभाग द्वारा की गयी जॉच के उपरान्त रामनारायण दुबे को निर्दोष पाया गया इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा दिनांक 09.05.2009 को थाना प्रभारी कोतवाली छतरपुर के नाम पत्र दिया है। जिससे बृजेश द्वारा की गयी जालसाजी पायी जाती है।

8– अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक द्वारा अपनी लिखित बहस में उल्लेख किया है कि बृजेश त्रिपाठी का कथन है कि रामनारायण की मुत्यु सन् 1984 में हो गयी तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी पुत्र, पुत्रियॉ एवं पत्नी का अभिलेख में नाम आना था बृजेश त्रिपाठी का नाम आना ही नही चाहिये अतः समस्त कार्यवाही दुषित है बृजेश त्रिपाठी के पक्ष में जिन साक्षियों ने कथन किये है उनके एक साक्षी नरोत्तम द्विवेदी पुत्र रामआसरे द्विवेदी निवासी ग्राम कदारी जो बृजेश त्रिपाठी का सगा साला है एवं दूसरा साक्षी राजेश शुक्ला जो ग्राम बाहरपुरा का है जो बृजेश त्रिपाठी का रिश्तेदार है तथा शिवराजपुर हल्का के अन्तर्गत नहीं आते है इस कारण वे हितवद्ध साक्षी होने के कारण बृजेश त्रिपाठी में रूचि रखने वाले साक्षी है ऐसे साक्षियों की साक्ष्य पर जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। बृजेश त्रिपाठी के ससुर रामआसरे द्विवेदी तत्कालीन राजस्व निरीक्षक द्वारा फर्जी तौर पर पट्टा तैयार किया गया है। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर भिन्न प्रतीत होते है जो फर्जी बनाये गये है तथा बृजेश त्रिपाठी द्वारा अपने पिता कृष्णदत्त की सर्विस बुक में कर्टिंग कर निवासी छतरपुर जोड़ा गया है आवेदक के बाबा का नाम नरसिंहगढ़ पुरवा छतरपुर में जो प्लॉट है वह खसरा नं. 1690/2टी में स्थित है जिसमें खसरा पंचशाला में रामनारायण तनय मातादीन तिवारी निवासी यूपी लेख है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक के बाबा

रामनारायण त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी है प्रश्नगत भूमि आवेदक के बाबा रामनारायण त्रिपाठी के पैत्रिक भूमि ग्राम पहरा जिला महोबा उत्तर प्रदेश में स्थित तथा रामनारायण त्रिपाठी के पास प्रश्नाधीन भूमि दिये जाने के पूर्व से ही खसरा नं. 2282, 2283,2284, 2285, 2297/2226, 724, 918 कुल रकवा 16.66 है0 रामनारायण पिता मातादीन त्रिपाठी ग्राम पहरा जिला महोबा उत्तर प्रदेश के नाम रहीं है। जिसकी खतौनी की सत्यापित प्रतिलिपियॉ संलग्न है जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि रामनारायण त्रिपाठी किसी भी रूप से प्रश्नाधीन भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहा है। इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है, नायब तहसीलदार चन्द्रनगर के प्रकरण क्रमांक 1230/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2014 में ग्राम शिवराजपुर के व्यक्तियों को अतिवृष्टि/अफलन से कृषकों द्वारा बोई गयी रवी फसल में भारी क्षति हुयी थी कृषकों को क्षति अनुसार आर्थिक सहायता की राशि कृषकों को दी गयी है जिसकी सूची क्रमांक 26 में रामनारायण दुबे तनय मातादीन दुबे को 11 हजार रूपये की मुआवजा राशि दी गयी है। अंत में लिखित बहस में निवेदन किया गया कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2013 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाये।

9– अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया इससे स्पष्ट है कि रामनारायण त्रिपाठी किसी भी रूप से प्रश्नाधीन भूमि प्राप्त करने की पात्रता नहीं है क्योंकि आवेदक के पिता कृष्णदत्त त्रिपाठी जोकि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख छतरपुर में पदस्थ रहे है तथा बृजेश त्रिपाठी के ससुर रामआसरे द्विवेदी राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुये रामनारायण दुबे को प्राप्त भूमि में कूठनितिक तरीके से अपने पद का दुरूप्रयोग कर ससुर और अपने दामाद को लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य षडंयत कर कार्यवाही की है आवेदक

के बाबा मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी है एवं पट्टा जारी होने के पूर्व उनके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि होने के कारण वह भूमिहीन की श्रेणी में नही थे ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्य पर विचार किये बिना आवेदक के बाबा को पट्टा जारी किया गया है वह किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक के बाबा का नाम निर्वाचन नामाबली में होने और निर्वाचन नामाबली में उनके बच्चे का नाम दर्शाया गया है दोनो पट्टो की प्रतियॉ प्रस्तुत की गयी है जो अलग-अलग है। जो पट्टा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें ग्राम टिकुरी अलग से जोडा जाना प्रतीत होता है और जो पट्टा अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें निवासी चन्द्रनगर (टिकुरी) स्पष्ट लिखा जाना प्रतीत होता है पूर्व में अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा आदेश दिनांक 19.06.2007 को अनुविभागीय अधिकारी राजनगर का आदेश दिनांक 05.08.2002 और तहसीलदार का आदेश दिनांक 20.12.1985 निरस्त कर रामनारायण बल्द मातादीन दुबे निवासी शिवराजपुर के नाम पट्टा बहाल किया गया है इसका अवलोकन किया गया जिसमें माना गया है कि कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 24.01.2008 में ओवर राइटिग करने वाले कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है तथा इस न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की जॉच कर रिपोर्ट मांगी गयी है जिसकी जॉच नगर पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा की गयी जिसमें आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया कृष्णदत्त त्रिपाठी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख में पदस्थ थे तथा बृजेश त्रिपाठी के ससुर रामआसरे द्विवेदी राजनगर में राजस्व निरीक्षक के पद पद पदस्थ थे जिन्होने भूमि हडपने के उद्देश्य से उपरोक्त कार्यवाही की है बृजेश त्रिपाठी के बाबा रामनारायण ग्राम पहरा जिला महोबा उत्तर प्रदेश के रहने वाले है उनका नाम मतदाता सूची वर्ष 2005 में क्रमांक 389 नंदकिशोर पुत्र रामनारायण दर्ज है परिवार रजिस्टर में सभी परिवार के क्रमांक 347 मकान नं. पर दर्ज है एवं कृष्णदत्त रामनारायण के लडके है जिनकी सर्विस बुक में पता ग्राम पहरा जिला महोबा

उत्तर प्रदेश लिखा है ऐसी स्थिति में ग्राम का निवासी न होना एवं भूमिहीन नही होने से पट्टा प्राप्त करने की पात्रता हीं नहीं थी। इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित किया गया है स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहॉ तक न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का प्रश्न है तो उनके द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् जो आदेश पारित किया है उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण वर्तमान प्रकरण में नहीं है।

10– उपरोक्त विवेचना के आधार पर वर्तमान निगरानी बलहीन एंव सारहीन होने से निरस्त की जाकर अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 144/बी–121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2013 विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर